मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2015 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 19, 1937)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अंतर सिंह आर्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 13 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 में की गई अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य, बुरहानपुर जिले में ग्रामीण सड़कों के समीप ओ.एफ.सी. लाईन डालने में नियमों का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री घनश्याम पिरोनियॉं, सदस्य, भिण्ड जिले के मिहोना-लहार-दबोह-भाण्डेर, चिरगांव मार्ग निर्माण में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में सिंचाई हेतु हरेरी नहर क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री, नर्मदा घाटी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री के.पी. सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के पिछोर एवं खनियाधाना तहसील को सूखा-ग्रस्त घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति / स्वीकृति

श्री रामप्यारे कुलस्ते, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि –

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अष्टम् प्रतिवेदन से सहमत है.".

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -
 (क) ग्राम भेदपुरा में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने, तथा
 (ख) ग्राम जग्गू का पुरा (इटावली) में आंगनवाड़ी भवन निर्माण किये जाने,

(2) श्री वीर सिंह पवार, सदस्य,विदिशा जिले में वामनाखेड़ी से बगरौदा सिंरोज कुवई मार्ग को 3 किलोमीटर तक सड़क से जोड़े जाने,

(3) श्री हरवंश सिंह राठौर, सदस्य, सागर जिले के हाई स्कूल सेसई, सगनी एवं बतरोल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किये जाने,

(4) श्री हर्ष सिंह, सदस्य, सतना जिले की करियारी नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(5) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के जड़कुड़ पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, तथा

(6) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम बनजारी की शासकीय माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री, दिनांक 23 जुलाई, 2015 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 719) एवं तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 361) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

7. वर्ष 2015-2016 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

2 घन्टे

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74 तथा 75 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पांच हजार पांच सौ पच्चीस करोड़, एक लाख, छः हजार, आठ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए."

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2015 (क्रमांक 18 सन् 2015) का पुर:स्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 9 दिसम्बर, 2015

***अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**